

क्रमांक: एफ-3(ख)/बी-स्पे. 114/92/अलेसे-II/402

दिनांक- 25-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री भंवरलाल तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर-913 से आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर-353 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तंवर आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री भंवरलाल तंवर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 25/5/2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री तंवर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री भंवरलाल तंवर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वमी)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/बी-स्पे. 114/92/अलेसे-II/402

दिनांक- 25-5-18

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर-913
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर-353
3. श्री भंवरलाल तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर-913
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/बी-286/2011/अलेसे-11/ 2/05

दिनांक- 25-5-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री भानू प्रकाश साहू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, डूंगरपुर से जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजसमंद में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री साहू आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री भानू प्रकाश साहू को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 25/5/2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री साहू नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री भानू प्रकाश साहू को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/बी-286/2011/अलेसे-11/ 4/05

दिनांक- 25-5-18

प्रतिलिपि:-

1. जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, डूंगरपुर।
2. जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजसमंद।
3. श्री भानू प्रकाश साहू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, डूंगरपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवाभ)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-106/90/अलेसे-II

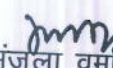
दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री करणी सिंह राजपूत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय अधीक्षण अभियंता वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर से कुल सचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (एक्स कॉडर) बीकानेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजपूत आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री करणी सिंह राजपूत को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 25.05.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राजपूत नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री करणी सिंह राजपूत को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

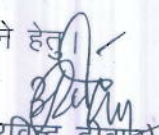

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/के-106/90/अलेसे-II / 413

दिनांक- 25.05.2018

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर।
2. कुल सचिव, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (एक्स कॉडर) बीकानेर।
3. श्री करणी सिंह राजपूत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय अधीक्षण अभियंता वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीक्षित)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)